**MOST-URGENT**

राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30592

दिनांक 22 मार्च, 2020

## :: आदेश ::

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा किए गए अनुरोध के कम में कोविड़-19, कोरोना वॉयरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, सावधानी एवं आम नागरिको की सुविधा के दृष्टिगत राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो, **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 के अनुकम में जिले में स्थापित एवं संचालित समस्त उद्योगो, फैक्ट्रियो, ईट-भट्टो तथा अन्य समस्त संचालित ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान, जिनमें 10 से अधिक कार्मिक/श्रमिक कार्य करते हैं, के संचालन कर्त्ताओ से सम्पर्क एवं समन्वय कर उनमें कार्यरत कार्मिको एवं श्रमिको को सवैतनिक अवकाश देने तथा कार्य से छंटनी नहीं करने / नही हटाने की कार्यवाही तत्काल कराएं जाने हेतु महा-प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा एवं क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल भीलवाड़ा को आदेशित एवं अधिकृत करता हूँ।

अधिकृत किये गये अधिकारियो द्वारा आदेश की पालना आज ही सुनिश्चित की जावे तथा प्रतिदिन की पालना किये गये कार्यो की पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सायं 5.00 बजे तक अधो-हस्ताक्षरकर्त्ता को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेगें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर
3. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
4. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
5. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
6. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित कराई जावे।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
9. महा-प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा
10. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल भीलवाड़ा
11. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित कराई जावे।
12. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा